

## निवाचिनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

[प्रारूप 26]

(नियम 4 के देखि)

कानपुर खण्ड शिक्षक निवाचिन क्षेत्र से  
(निवाचिन क्षेत्र का नाम) विधान परिषद उ०प्र० (सदन का नाम)  
के लिए निवाचिन के लिए रिटर्निंग अफिसर के समक्ष  
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र



R.No. 10172  
Date: 10/10/2021

भाग-अ

मैं, रामवीर सिंह \*\* पुत्र कल्लू सिंह आयु 74 वर्ष, जो ग्राम नगला झण्डा दादों, पोस्ट दादों, जिला अलीगढ़ (उ०प्र०) का निवासी हूँ और उपरोक्त निवाचिन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

(1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे समाजवादी पार्टी (\*\*राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है / निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।

(\*\* जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 73 अतरौली (उ०प्र०) (निवाचिन क्षेत्र और राज्य का नाम), मेरे भाग सं०-299 में क्रम सं०-175 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9759835025 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएँ हैं/हैं और [rvsyadav9@gmail.com](mailto:rvsyadav9@gmail.com) ई-मेल पता (यदि कोई हो) है।

क्रम सं.	नाम	पीएन (स्थायी संख्या)	खाता	वह वित्तीय वर्ष जिसके आध-कर विवरणी में लिये अंतिम आध-कर दर्शाई गई कुल आय विवरणी फाइल की गई है (हप्ते में)
1.	अभ्यर्थी रामवीर सिंह	GKXPS2630K	नहीं	लागू नहीं
2.	पति/पत्नी	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
3.	आश्रित-1	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित-3	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। लागू नहीं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।: लागू नहीं।

(1) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं, निम्नलिखित है :-

(क)	संबंधित पुलिस धाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नहीं

(भाग-प्राप्ति)

निवाचिनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विचरित किए हैं	लागू नहीं
(ङ)	तारीख जिस पर आरोप विचरित किए गए	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है इन ऊपर (t) में लिखित मामलों के अलावाटः- लागू नहीं।

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीखः	लागू नहीं
(ख)	मामलों का ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया	लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरोक्तण के लिए आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई है), के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या अपराध (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया है। यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(क)	संबंधित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला सं. और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील का ब्यौरा और उसकी वर्तमान प्रायस्थिति।	लागू नहीं

(7) यह कि मैं अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और स्थाई आदि) ब्यौरा यहाँ नीचे देता क. जंगम संपत्तियों का ब्यौरा :

टिप्पण 1: संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपरिलिखित किया जाना है।

टिप्पण 2: निपेक्ष/विनिधान की दशा में, क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

टिप्पण 3: वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बाजत स्टॉक एक्सचेंज में और अमूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेचर का मूल्य।

टिप्पण 4: आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (v) में उसका है।

मालय है २०१५

**निवाचिनों का संचालन नियम, 1961**  
**(कानूनी नियम और आदेश)**

टिप्पण 5: प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम व्यौरे पृथक रूप में दिया जाना है।


(क्रम.सं.)	विवरण	स्वयं	पति/ पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में रोकड़	एक लाख सत्तानबे हजार ८०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निपेक्ष), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	खाता सं० (1) 2800000100084371 पंजाब नेशनल बैंक सलगवां, अलीगढ़ धनराशि 38564.14 रु० (2) खाता सं०- 122510100000172 ग्रामीण बैंक ऑफ आयवर्ट रु० 1047/-रुपया (3) खाता सं०-५३ जिला सहकारी बैंक दादौं अलीगढ़ 421.50 रु०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iii)	बंधपत्रों, डिबैंचरों/शेवरों और कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखत में विनिधान और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियों और रकम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(vi)	मोटर यान/धायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	दो तोला जंजीर 60,000/-रु०	5 तोला सोना 1.5 लाख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(viii)	कोई अन्य अस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ix)	सकल कुल मूल्य	297032.64/-रु०	1.5 लाख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1: संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपलब्धित किया जाना करें।

टिप्पण 2: इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।


*(भारतीय नियम)*



निवाचिनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

(क्रम.सं.)	विवरण	स्वर्य	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक	12 बीघा	6 बीघा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्षेत्र (एकड़ा में कुल माप)	2.5 एकड़ा	1.2 एकड़ा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	पैतृक	खरीदा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	2012	बुछ मही	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	12 लाख	5 लाख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : स्थान सर्वेक्षण संख्यांक					
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन : (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्यांक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(भाष्टु भाष्टु)



निवाचिनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

	आवासिक भवन : (अपार्टमेन्ट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्यांक	गंव पैतृक पक्का मकान	250 वर्गजग प्लाट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	500 वर्गजग	250 वर्गजग प्लाट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	1/2 भाग में निर्मित		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुछ नहीं	05.12. 2016	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	कुछ नहीं	5 लाख रु०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	कुछ नहीं		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	2 लाख रु०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)	ऊपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	14 लाख रु०	10 लाख रु०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पणी: कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरे दें)



(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण का प्रकार	कुछ नहीं				
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यापि/अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	कुछ नहीं				
	कोई अन्य दायित्व	कुछ नहीं				
	दायित्वों का कुल योग	कुछ नहीं				
(ii)	सरकार के देय, सरकारी वास-सुविधा से संबंधित विभाग को देय	कुछ नहीं				
	जल प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	कुछ नहीं				
	विद्युत प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	कुछ नहीं				
	टेलीफोनों/मोबाइलों की पूर्ति से संबंधित	कुछ नहीं				

100/10/2018

**निवाचिनों का संचालन नियम, 1961**  
**(कानूनी नियम और आदेश)**

| विभाग को देय,   | कुछ नहीं |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को देय (वायुयानों और हेलीकाप्टरों सहित)  | कुछ नहीं |
| आयकर देय  | कुछ नहीं |
| संपत्ति कर देय  | कुछ नहीं |
| सेवा कर देय   | कुछ नहीं |
| नगरपालिका/संपत्ति कर देय  | कुछ नहीं |
| बिक्री कर देय   | कुछ नहीं |
| कोई अन्य देय  | कुछ नहीं |
| (iii) सरकारी के सभी देयों का कुल योग  | कुछ नहीं |
| (iv) कन्या कोई अन्य दायित्व विवाद-ग्रस्त है, यदि है तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करे जिसके समक्ष यह लंबित है | कुछ नहीं |

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं-प्रधानाचार्य, श्रीमती सोनकली चरन सिंह इण्टर कालेज हरसैना जनपद कासगंज (वित्त विहीन)  
 (ख) पति/पत्नी- गृहिणी

10. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

बी०ए० बी०ए०, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा 1976 बी०ए० 1978 बी०ए०  
 (प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाद्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे  
 दे, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दे और यह वर्ष का ब्यौरा दे जिसमें पाद्यक्रम पूरा किया गया था)

**भाग-ख**

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरे का सारः

1. अध्यर्थी का नाम	श्री रामवीर सिंह	
2. डाक का पूरा पता	ग्राम नगला झण्डा दादों, पोस्ट दादों, जिला अलीगढ़ (उ०प्र०)	
3. निवाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	73 अतरौली (उ०प्र०)	भाग सं०-२९९ में क्रम सं०-१७५
4. राजनीतिक दल का नाम जिसने अध्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा सनिर्दलीय-लिखें)	समाजवादी पार्टी	
5. (i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय द्वारा दो वष्ट या अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं	कोई नहीं	
6. (ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	कोई नहीं	
6. उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किया गया है इलोक प्रतिनिधित्व अधिकतम, 1951, की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय।	कोई नहीं	

(१८०५३७८७८५५५८)

निवाचिनी का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

7.		का स्थायी खाता संख्या (पीएएन)		वर्ष जिसमें अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	दरार्दि गई कुल आय
	(क) अभ्यर्थी -रामबीर सिंह	GKXPS2630K	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) पति या पत्नी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ग) आश्रित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	आस्तियों और दावित्यों के रूपयों में ब्यौरे				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित 1	आश्रित 2
9.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	14 लाख	10 लाख	कुछ नहीं	कुछ नहीं
आ	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
I	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हों)	12 लाख	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
II	(क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	2 लाख	10 लाख	कुछ नहीं	कुछ नहीं
III	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.	दावित्य				
	(i) सरकार के देव (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	दावित्य जो विवादप्रस्त हैं				
	(i) सरकार से देव (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता: <u>बी०ए० बी०ए०, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा 1976 बी०ए० 1978 बी०ए०</u> (प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे है, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दे और वह वर्ष का ब्यौरा दे जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था)				

मैं, ऊपर नामित अभियाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और  
विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक वात छिपाई नहीं  
गई है। मैं यह भी घोषित करता हूँ:-

(क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और मद 6 और भाग आ मे उल्लिखित से भिन्न किसी भाष्मले मे मै  
दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है।

(भिल्हन्है भा०५७)


निवाचिनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

(ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरी पति/मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी आस्ति या दावित नहीं है।

.....  
..... स्थान पर आज तारीख 16.01.2017 को सत्यापित किया गया।

अधिकारी के हस्ताक्षर  
भाजुरे २१५९

- टिप्पण 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सांवं तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।  
 टिप्पण 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।  
 टिप्पण 3. सधी स्तंभ भरे जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। बदि किसी स्तंभ से कोई सूचना नहीं दी जानी है तो, यथास्थिति या तो "कुछ नहीं" या "लगा नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।  
 टिप्पण 4. शपथपत्र या तो, टिकित होना चाहिए या सुपाद्य और स्पष्टतः लिखित होना चाहिए।



Sworn before me this day of  
January 2017  
by Shri ..... to whom the  
Contents of the affidavit have been  
read over and explained who is duly  
identified Sri .....

L.R. NARAYAN (Advocate)  
Govt. Notary, Kunpur (U.P.)

त्रु

क्रमी